

**उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)**

वाही

बनाम

प्रतिवादी

तेजराज पुत्र केशवराज

भागाराम पुत्र केशवराज लखिया

पार रामल

पार रामल

किस्म मुकदमा

राजपूत वाद अधीन धारा

S3,188 RJA Act

मु.नं.

124/2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 8/11/18     | <p>प्रस्तुत वाद वाही के प्रतिवादीगण के विरुद्ध अर्काट द्वारा S3,188 RJA Act के तहत पंच किर्पा वाही का आवेदन प्राप्त एवं द्वारा S3,188 RJA Act के तहत हज़र शर्मा वी वाही को सुना वाही के कारण किर्पा की ग्राम रामल के बख्श 74, 74, 74 के आदेशों की तैयारी कर सुदा जमीन के प्रतिवादीगण परेशान कर कब्जा करने पर उतारु हैं उन्हें पखन्दा करमावे प्रतिवादीगण को जेप में बुलाना जाया प्रतिवादीगण उपर अवरपयं गा.पं. रामल उपर पक्षकारण को आपस में खर्च सामग्री करने पर बरवांरा करने पर सहमत होन के किर्पा में उपस्थित तहसीलदार लुपामन को विवेक से जय की पक्षकारण का शीनामा जाफे बरवांरा करी पखन्दा द्वारा शीनामा पंच किर्पा किर्पा अवरपयं जे एंताइर किर्पा शीनामा द्वारा किर्पा किर्पा किर्पा वाही के आवेदन प्राप्त एवं म. कार्यवाही होख रही है कि पक्षकारण जेप में जाय होख फॉलो जाएवे</p> <p>किर्पा अरु आम किर्पा रामल में बुलाना जाया</p> |   |

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)